



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
 EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
 (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
 Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
 E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
 Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस व्हिप्टि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 13-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), श्री प्रणय सन्हा एवं कर्मचारी राज्य - बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स पैराग्रीन गा ईंग प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री वकास कुमार जो इंस्टाकार्ट स वर्सेज प्रा. सब के अधीन हाजीपुर में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत थे उनकी आ श्रता माता- श्रीमती सगमा देवी, पता- श्री अर वन्द कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. वकास कुमार की मृत्यु दिनांक 10-11-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ र्थक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत कया गया । पेंशन के रूप में 42.15 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु.2529/- आ श्रतों को मलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग रु. 42993/- रूपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक

